

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

शुद्धि पत्र संख्या – 23/2018–19

क्रमांक : एफ.7 (39) भर्ती/AFDO/EP-I/2016–17/262

दिनांक : 01.10.2018

आयोग द्वारा जारी शुद्धि पत्र संख्या 21/2018–19 के अतिक्रमण में विज्ञापन संख्या 05/2016–17 दिनांक 05.10.2016 व इसके पश्चात् जारी किये गये समस्त विज्ञापनों/शुद्धि पत्रों के तहत ऑनलाईन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :–

1. ऐसे आवेदक जो आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् विधवा/परित्यक्ता/विकलांग हुआ/हुई है तथा अपना वर्ग परिवर्तन करवाना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी प्रथम चरण का परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व निर्धारित प्रमाण पत्र (ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात् का) एवं निर्धारित शुल्क रूपये 300/- सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना वर्ग परिवर्तन करवा सकते हैं। प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम के पश्चात् विधवा/परित्यक्ता/विकलांग संबंधी वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. ऐसे आवेदक जिन्होंने ऑनलाईन आवेदन करने के समय त्रुटिवश अपना लिंग गलत अंकित कर दिया है अर्थात् Male के स्थान पर Female तथा Female के स्थान पर Male अंकित कर दिया है तो वे अभ्यर्थी प्रथम चरण का परीक्षा परिणाम जारी होने से पूर्व निर्धारित शुल्क रूपये 300/- सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपना लिंग परिवर्तन करवा सकता हैं। प्रथम चरण की परीक्षा परिणाम जारी किये जाने के पश्चात् लिंग (Male/Female) परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(पी.सी. बेरवाल)
सचिव